न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई आर०ए०एस)

मु० संख्या :- 24/2019

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री किशन कुमार आचार्य पुत्र गोरधनलाल आचार्य उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी आचार्यो का चौक, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.) 2. मैसर्स श्रीकृष्णा सेवा समिति, बीकानेर वाले, गांधी चौक, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 1व 2 के अधिवक्ता मुकन्द सिंह ।

-:: निर्णय ::- दिनांकः 02.08.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.09.2018 को 11:00 एएम पर मैसर्स श्रीकृष्णा सेवा समिति, बीकानेर वाले, गांधी चौक, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्रीकृष्णा सेवा समिति, बीकानेर वाले, गांधी चौक, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री किशन कुमार आचार्य पुत्र गोरधनलाल आचार्य कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर होना नही बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में खोया फिका मावा खाद्‌य पदार्थ का विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात खोया फिका मावा लगभग 250-250 ग्राम की प्लास्टीक के डिब्बे नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 240 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा खोया फिका मावा के चार नमूने लिये प्रत्येक को प्लास्टिक के डिब्बे पैक कर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

Scanned by CamScanner

मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं कमांक नम्बर एन–875 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन–875 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–875 खोया फिका मावा लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को स्वयं के द्वारा दिनांक 01.10.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 30.09.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/4993–95 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./670/Act/2018/689 दिनांक 12.10.2018 अनुसार उक्त नमूना अमानक (सबस्टैण्डडी) पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन–875/ के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में

न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

Scanned by CamScanner

विक्रेता 1. श्री किशन कुमार आचार्य पुत्र गोरधनलाल आचार्य उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी आचार्यो का चौक, बीकानेर जिला बीकानेर (राज.) 2. मैसर्स श्रीकृष्णा सेवा समिति, बीकानेर वाले, गांधी चौक, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) ने अमानक (सबस्टैण्डर्ड) रिफाइण्ड खोया फिका मावा का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा परिवाद के संबंध में पदवार जबाब प्रस्तुत किया है कि परिवाद के अनुछेद संख्या 01 राज्य सरकार के आदेश अनुसार है। जिसके लिए जबाब की आवश्यकता नही है। अनुछेद संख्या 2 में अप्रार्थीगण के पते से संबधित होना बताया व अनुछेद संख्या 3 में जो कथन किया गया है वह पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार किया गया है। अनुछेद संख्या 04 गलत मानते हुए नामंजूर है। अनुछेद संख्या 05 को पूर्ण रूप से असत्य माना है। अनुछेद संख्या 06 व 07 को गलत माना गया है। मेरे खिलाफ मनगढन व गलत तथ्यो से परिवाद पेश किया है, तथा एफएफएस एक्ट 2006 के अनुसार खादय पदार्थो की गुणवता की जांच राष्ट्रीय परीक्षण और संसोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला ही किया जायेगा जबकि उक्त पब्लिक हेल्थ लेबोरेटी जोधपुर एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नही है। अतः अप्रार्थी की ओर से निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र एफएफएस एक्ट 2006 को खारिज करने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./670/Act/2018/689 दिनांक 12.10.2018 के अनुसार खोया फिका मावा का उक्त नमूना अमानक (सबस्टैण्डर्ड) पाया गया हैं। वही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है, तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने ज़बाब

न्यायनिर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर अमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर के खोया फिका मावा का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री किशन कुमार आचार्य जो मैसर्स श्रीकृष्णा सेवा समिति, बीकानेर वाले, गांधी चौक, जैसलमेर जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर पर अमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु खोया फिका मावा विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर **33,000/- अक्षरे तैंतीस हजार रूपये** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

Scanned by CamScanner